



# उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद-211 001

पत्रांक- उ0शि0आयोग / सी-679 / 344/2018-19

दिनांक : 11 जून, 2018

## प्रेस-विज्ञप्ति

मा० उच्च न्यायालय में सामान्य ज्ञान के एक प्रश्न के विरुद्ध योजित वाद सं०-12344/2017 नीरज कुमार सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.04.2017 के अनुपालन में तृतीय व चतुर्थ चरण में निर्धारित विषयों की सम्पन्न हुई लिखित परीक्षाओं का पुर्नमूल्यांकन कराया गया। पुर्नमूल्यांकन के उपरान्त अनेक अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची से बाहर हो गये तथा कुछ नवीन अभ्यर्थी उक्त सूची में सम्मिलित हुए हैं। पुर्नमूल्यांकन के उपरान्त सहायक आचार्य हिन्दी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणि विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं चित्रकला विषयों जिनके साक्षात्कार होने शेष है की संशोधित सूची अभ्यर्थियों के सूचनार्थ आयोग के पोर्टल [www.uphesonline.in](http://www.uphesonline.in) पर पूर्व से ही उपलब्ध है।

सचिव  
उ०शि० आयोग

(वन्दना त्रिपाठी)

सचिव